न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2024 निर्णय दिनांकः– 01-04-2026
(जीसीएमएस संख्या 2024/83)

1. नरोतमराम उर्फ नरोतमल पुत्र भैरूराम जाति रेंगर उम्र 70 वर्ष पेशा खेती कास्त साकिन बोरावड़ तहसील परबतसर जिला नागौर

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–06–1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 12–06–1987 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि बिना किसी सूचना के एकतरफा तौर पर खारिज कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24–02–1977 को वाके चक 6 डी.एल.डी. पटवार हल्का डेलाना छोटा तहसील लुणकरणर के मुरब्बा नम्बर 187/49 के किला 3 ता 25 की 23 बीघा भूमि विधिवत प्रकिया अपनाकर सलाहकर समिति द्वारा आवंटित की गई जिसका राजस्व रिकार्ड में बतौर काश्तकार अपीलान्ट का नाम अमलदरामद किया गया व मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया जिस पर अपीलान्ट काबिज होकर शान्तिपुर्वक खेती काश्त करता आ रहा है। अपीलान्ट अनपढ खेतीपेशा व्यक्ति होने के कारण कानुनी पेचिदगियों से अनभिज्ञ है। अपीलान्ट अपने को आवंटन होने के पश्चात मौके पर विधिवत प्रकिया अपनाकर कब्जा प्राप्त करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की कोई दखल अन्दाजी नहीं रही है मौके पर प्रार्थी ढाणी व कुण्ड बनाकर अपने परिवार सहित काबिज होकर खेती काश्त करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 24–02–1977 को आवंटन होने के बाद पटटा अपीलान्ट के नाम काटकर कब्जा सुपुर्द किया गया जिसकी ताहीद अपीलान्ट की आवंटन पत्रावली में अंकित नोट से भली भांति होती है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दिनांक 12–06–1987 कमांक 1225 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा अपीलांट को आवंटित उक्त आराजी का आवंटन निरस्त करके इन्तकाल संख्या 32 दिनांक 30/6/1989 को आराजी राज दर्ज कर दिया गया जिसकी पत्रावली बाबत अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगातार चक्कर लगाता रहा मगर अपीलान्ट को ना तो आवंटन निरस्ती का आदेश दिया गया ना ही उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई और मगलादराज द्वारा उक्त पत्रावली उपनिवेशन विभाग का डिकोलोनाईजेशन हो जाने के कारण उपलब्ध नही होना अपीलान्ट को बताया गया आज तक अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की नकल तक उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि उसका मौलिक अधिकार था इसलिए अपील नकल के अभाव में ही प्रस्तुत की जा रही है डिस्पेंच विथ का प्रार्थना पत्र हमरांह संलग्न है नकल मिलने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अपीलान्ट अनपढ खेती पेशा व्यक्ति होने के कारण अपने को भुमि आवंटन होने के बाद लगातार कब्जा काश्त में आज दिनांक तक खेती काश्त करता आ रहा है उसे अभी तक मौके से बेखदल नही किया गया है। अपीलान्ट अनपढ अनुसुचित जनजाति का पिछडे वर्ग का व्यक्ति है जो कानुनी पेचिदगियो से अनभिज्ञ है ,तथा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खेतीपेशा व्यक्ति होने के कारण आदेश जैर अपील की पालना से अपीलान्ट के परिवार के भुखे मरने की नोबत आ जायेगी इसलिए अपीलान्ट के साथ अधीनस्थ न्यायालय ने घोर नाईसाफी की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 08–11–2023 को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी मुल पत्रावली बाबत जानकारी हासिल करने पर मुल पत्रावली अपीलान्ट को दिनांक 09–01–2024 को मिली किन्तु आदेश जैर अपील आज तक नही मिला इस प्रकार अपील इल्म के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट नोरतराम पुत्र भैरूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16–02–1977 को अपीलांट को 23 बीघा नहरी भूमि(कमाण्ड भूमि) आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–02–1977 को अपीलांट के नाम चक 6 डीएलडी के मुरब्बा नम्बर 187/49 की 3 ता 25 कुल 23 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। तथा उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को दे दिया गया।

अपील अपीलांट का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–06–1987 को बिना अपीलांट को सूचित किये, बिना अपीलांट को सुने अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया तथा प्रश्नगत आराजी रकबाराज घोषित की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16–02–1977 को अपीलांट को 23

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीघा नहरी भूमि (कमाण्ड भूमि) आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–02–1977 को अपीलांट के नाम चक 6 डीएलडी के मुरब्बा नम्बर 187/49 की 3 ता 25 कुल 23 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अप्रार्थी/अपीलांट मौके पर आबाद नही तथा उसके किस्तो के 4645/–रू. बकाया है। इस बाबत अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जो अदम तामील प्राप्त हुए। इसलिए प्रश्नगत आराजी का कब्जा बहक सरकार लिया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पुर्णतया सही चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का आवेदन खारिज ना हुआ हो, प्रश्नगत भूमि यदि आराजीराज हो, अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 01-04-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर